न्यायालय सहायक कलेक्टर रानीवाडा जिला सांचौर

पीठासीन अधिकारी श्री भागीरथ राम, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या 24／2023

वादी — **बनाम** — **प्रतिवादीगण**

वचनाराम पुत्र पोमाराम जाति भील निवासी रानीवाड़ा कलां तहसील रानीवाड़ा जिला सांचौर

1. अर्जना
2. रमेश पुत्र सोमा
3. आशा पुत्री खगा
4. महेन्द्र कुमार पुत्र खगा जातियान भील निवासीयान रानीवाड़ा कलां
5. खेताराम पुत्र बगदाराम जाति भील निवासी रानीवाड़ा खुर्द
6. पुनमा
7. पीरा
8. रूपा पिसरान खुमा
9. चौथी
10. मृतक दाड़म पुत्री नाथा के कायम मुकाम वारीसान
    10／1. पोपट पुत्र बाबूजी(माता का नाम दाड़म)
11. मूली
12. लाडू पुत्रीयान नाथा
13. बिजलाराम
14. मोतीराम पिसरान नाथा
15. दिवा पुत्री सामतीराम
16. मोहनलाल
17. हरसनराम पिसरान सामतीराम
18. नरसीराम पुत्र उगराजी
19. बाबू
20. मनजी पिसरान मंगला
21. भावना पुत्री हंसा जातियान भील निवासीयान रानीवाड़ा कलां तहसील रानीवाड़ा जिला सांचौर
22. भूमिधारी तहसीलदार रानीवाड़ा जिला सांचौर
23. गेपीदेवी पत्नि तोलाराम जाति भील निवासी रानीवाड़ा कलां तहसील रानीवाडा

दावा बाबत बंटवाडा एवं जारी करने स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53, 188 राज0 काश्त0 अधिनियम 1955

उपस्थिति :–

1. वादी के अधिवक्ता श्री मोहनलाल विश्नोई।
2. प्रतिवादी संख्या 1, 2, 4 से 7, 8, 13, 14, 1[illegible] 20, 23 के अधिवक्ता श्री पूखराज विश्नोई।
3. प्रतिवादी संख्या 22 राजपेरोकार तहसीलदार रा[illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Ram
Date: 2024.02.19 18:14:29 IST
Reason: SelfAttested

–: निर्णय :–

दिनांक 14.02.2024

1. वादी द्वारा प्रतिवादीगण के विरूद्व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 अंतर्गत धारा 53, 188 बाबत् बंटवाडा व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद पेश किया है। जिसके तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि मौजा रानीवाड़ा कला (नया) तहसील रानीवाड़ा में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 21 की सामलाती व संयुक्त खातेदारी की आराजी नवीन खसरा नंबर 1051 रकबा 3.00 हैक्टेयर आई हुई हैं। उक्त आराजी वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 21 की सामलाती व संयुक्त खातेदारी की आराजी हैं। उक्त आराजी का विधिवत रेकर्डेड बंटवाड़ा नहीं हुआ हैं। उक्त आराजीयान में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 21 अपने काश्त की सुविधानुसार काबिज होकर काश्त करते आ रहे हैं। उक्त आराजी में वादी का हिस्सा 33617/630000 रकबा 0.16 हैक्टेयर है।

    उक्त वादग्रस्त आराजी का रेकर्डेड व विधिवत बंटवाड़ा नहीं होने से उक्त सामलाती आराजी का विकास करने में परेशानी आ रही हैं। वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 से 21 को उक्त आराजी का आपसी सहमति से कई बार विधिवत बंटवाड़ा करवाने का कहा परन्तु प्रतिवादी संख्या 1 से 21 ने उक्त आराजी का विधिवत बंटवाड़ा करवाने में आना कानी की। दिनांक 25.12.2022 को वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 से 21 को वादग्रस्त आराजी का मौके पर कब्जे काश्त व हिस्से माफिक आपसी सहमति से विधिवत बंटवाड़ा करवाने का कहा तो प्रतिवादी संख्या 1 से 21 ने आपसी सहमति से वादग्रस्त आराजी का विधिवत बंटवाड़ा करवाने से मना कर दिया तथा प्रतिवादी संख्या 1 से 21 ने वादी को ऐलानिया धमकी दी कि हम उक्त आराजी का आपसी सहमति से बंटवाड़ा नहीं करवायेगे तथा तुमने ज्यादा किया तो हम तुम्हें तुम्हारे कब्जे काश्त की आराजी से लाठी के बल पर बेदखल कर देंगे तथा उक्त आराजी को बिना बंटवाड़ा करवाये बैचान कर देंगे। इसलिए वादी वादग्रस्त आराजी का अपने हिस्से व मौके पर कब्जे काश्त माफिक बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के आधार पर बंटवाड़ा करवा कर अपना हिस्सा अलग प्राप्त करने का अधिकारी हैं तथा वादी ने वादग्रस्त आराजी का हिस्सा खरीदकर कब्जा प्राप्त किया हैं तथा वादी ने बैचानकर्ताओं का जिस जगह पर कब्जा था उसी जगह पर वादी ने कब्जा प्राप्त किया है, जो मौके पर मौजुद है। उसी हिस्से को वादी ने बंटवाड़ा में प्राप्त करना चाहता हैं तथा वादी प्रतिवादी संख्या 1 से 21 के अवैध व गैर कानूनी कृत्यों को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा रूकवाने का अधिकारी होने से वादी की ओर से प्रतिवादीगण के विरूद्ध यह दावा बाबत बंटवाड़ा खातेदारी आराजी व स्थाई निषेधाज्ञा का पेश हैं।

    अतः मौजा रानीवाड़ा कलां तहसील रानीवाड़ा के खसरा नंबर 1051 रकबा 3.00 हैक्टेयर का वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 21 के बीच बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के आधार पर बंटवाड़ा किया जाकर उक्त आराजी में से वादी को 33617/630000 रकबा 0.16 हैक्टेयर आराजी अलग बंट में दिया जावे तथा प्रतिवादी संख्या 1 से 21 को भी उनके हिस्से माफिक अलग अलग आराजी बंट में दी जावे तथा इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा प्रतिवादीगण के विरूद्व सादीर फरमाई जावे कि बाद बंटवाड़ा प्रतिवादी संख्या 1 से 21 उपरोक्त आराजी में वादी के बंट की आराजी में वादी के कब्जा काश्त उपयोग उपभोग में न तो स्वयं कोई दखल या बाधा पैदा करे तथा न ही किसी अन्य से कोई बाधा या दखल पैदा करावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Ram
Date: 2024.02.19 18:14:29 IST
Reason: SelfAttested

2. वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को समन जारी किये गए। प्रतिवादी संख्या 3, 5, 9 से 12, 15, 19, 21 को [illegible] बाद तामील सम्मन अनुपस्थित

होने से इनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही की गई। प्रतिवादी वकील व राजपेरोकार द्वारा जवाब नहीं दिया गया।

3. दिनांक 25.01.2024 को न्यायालय द्वारा वादी व प्रतिवादी संख्या 1, 2, 4 से 7, 8, 13, 14, 16 से 18, 20, 23 के अधिवक्ताओं के निवेदन पर विवादीत आराजी मौजा रानीवाडा कलां के खसरा नम्बर 1051 रकबा 3.00 हेक्टेयर आराजी में खातेदारो के हक हिस्से व कब्जे काश्त अनुसार रास्ते की सुविधा देते हुए बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड के जरिये बंटवाडा प्रस्ताव के प्राथमिक डिक्री के आदेश तहसीलदार रानीवाडा को किये गये। तहसीलदार रानीवाडा से पत्रांक/कोर्ट/2024/41 दिनांक 01.02.2024 के द्वारा प्राथमिक डिक्री की पालना मंगवाई गई। जिस पर तहसीलदार रानीवाडा द्वारा कब्जा काश्त अनुसार बंटवारा प्रस्तावित कर पत्रांक/राजस्व/2024/110 दिनांक 08.02.2024 से इस न्यायालय को प्रस्तुत किये हैं।

4. तहसीलदार रानीवाडा द्वारा प्रस्तुत उक्त विभाजन प्रस्ताव को उपस्थित पक्षकारान को पढकर सुनाया गया । उभयपक्ष के विद्वांन अधिवक्ता को सुना गया, जिनके द्वारा किसी प्रकार की विभाजन प्रस्ताव पर आपत्ति नहीं करते हुए सहमति दी गई एवं आदेशिका पर सहमति स्वरूप अपने हस्ताक्षर किये। अतः तहसीलदार रानीवाड़ा से प्राप्त प्राथमिक डिक्री अनुसार बंटवाडा किया जाना उचित प्रतीत होता है। ऐसी स्थिति में तहसीलदार रानीवाडा द्वारा प्रस्तुत उक्त विभाजन प्रस्ताव के अनुसार वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 21 व 23 के बीच बंटवारा की अंतिम डिक्री निम्नानुसार जारी की जाती है।

क्र. सं.	खातेदार का नाम	खसरा नम्बर	रकबा हैक्टे0 में	बंटवाडे में आया रकबा हैक्ट0 में	किस्म	नक्शा ट्रेश में अंकित रंग	लगान राशि
1.	वचनाराम पुत्र पोमाराम कौम भील	1051	3.00	0.16	चा.उ.	गुलाबी	नियमानुसार
2.	खेताराम पुत्र बगदाराम कौम भील सा0 रानीवाडा खुर्द 2729/4329, गोपीदेवी पत्नि तोलाराम कौम भील हिस्सा 1600/4329	1051	3.00	0.4329	चा.उ.	हरा	
3	अर्जना पुत्र सोमा हिस्सा 4913/240710, आशा पुत्री खगा हिस्सा 16666/240710, चौथी पुत्री नाथा हिस्सा 184/24071, दाड़म पुत्री नाथा हिस्सा 184/24071, दिवा पुत्री सामतीराम हिस्सा 10000/72213, नरसीराम पुत्र उगराजी हिस्सा 800/24071 पुनमा पुत्र खुमा हिस्सा 4761/240710, पीरा पुत्र खुमा हिस्सा 9653/240710,	1051	3.00	2.4071	चा.उ.	बैगनी	

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Ram
Date: 2024.02.19 18:14:29 IST
Reason: SelfAttested

	पुत्र मंगला हिस्सा 1733/24071, बिजलाराम पुत्र नाथा हिस्सा 921/240710, भावना पुत्री हंसा हिस्सा 1507/240710, मनजी पुत्र मंगला हिस्सा 3334/24071, मूली पुत्री नाथा हिस्सा 1841/240710, महेन्द्रकुमार पुत्र खगा हिस्सा 16666/240710, मोतीराम पुत्र नाथा हिस्सा 921/240710, मोहनलाल पुत्र सामतीराम हिस्सा 10000/72213, रूपा पुत्र खुमा हिस्सा 1598/24071, रमेश पुत्र सोमा हिस्सा 453/24071, लाडू पुत्री नाथा हिस्सा 1/240710, हरसनराम पुत्र सामतीराम हिस्सा 10000/72213 कौम भील सा. देह खातेदार						

5. उक्त प्रस्तावित बंटवारे के अनुसार वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 21 व 23 के बीच पृथक पृथक खाते खोलकर एवं मोमीयॉ नक्शा में तरमीम कर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करने हेतु तहसीलदार रानीवाड़ा को आदेशित किया जाता है। उक्त बंटवारा अनुसार वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 21 व 23 के हक में प्राप्त आराजी के सम्बन्ध में एक दूसरे के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखलंदाजी न करे न किसी अन्य से करावें इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है।

पक्षकारान अपना अपना खर्चा वहन करें। उक्तानुसार अंतिम डिक्री जारी की जावे।

(भागीरथ राम)
सहायक कलेक्टर
रानीवाडा जिला–सांचौर

निर्णय आज दिनांक 14.02.2024 से सरे इजलाज सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर
रानीवाड़ा जिला–सांचौर

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhagirath Ram
Date: 2024.02.19 18:14:29 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री व मुकदमें इब्तदाई

(आर्डर 20, रूल्स 6–7, जाब्ता दीवानी)

(civil procedure code, Appendix “D”-1)

अज अदालत सहायक कलेक्टर रानीवाडा जिला सांचौर

पीठासीन अधिकारी श्री भागीरथराम, आर.ए.एस.

वादी		प्रतिवादीगण
वचनाराम पुत्र पोमाराम जाति भील निवासी रानीवाड़ा कलां तहसील रानीवाड़ा जिला सांचौर	**बनाम**	1. अर्जना 2. रमेश पुत्र सोमा 3. आशा पुत्री खगा 4. महेन्द्र कुमार पुत्र खगा जातियान भील निवासीयान रानीवाड़ा कलां 5. खेताराम पुत्र बगदाराम जाति भील निवासी रानीवाड़ा खुर्द 6. पुनमा 7. पीरा 8. रूपा पिसरान खुमा 9. चौथी 10. मृतक दाड़म पुत्री नाथा के कायम मुकाम वारीसान 10/1. पोपट पुत्र बाबूजी (माता का नाम दाड़म) 11. मूली 12. लाडू पुत्रीयान नाथा 13. बिजलाराम 14. मोतीराम पिसरान नाथा 15. दिवा पुत्री सामतीराम 16. मोहनलाल 17. हरसनराम पिसरान सामतीराम 18. नरसीराम पुत्र उगराजी 19. बाबू 20. मनजी पिसरान मंगला 21. भावना पुत्री हंसा जातियान भील निवासीयान रानीवाड़ा कलां तहसील रानीवाड़ा जिला सांचौर 22. भूमिधारी तहसीलदार रानीवाड़ा जिला सांचौर 23. गेपीदेवी पत्नि तोलाराम जाति भील निवासी रानीवाड़ा कलां तहसील रानीवाडा

अन्तर्गत धारा 53 188 राज0 काश्त0 अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या [illegible] 2023

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Ram
Date: 2024.02.19 18:14:29 IST
Reason: SelfAttested

यह मुकदमा आज इनफि[illegible] हाजरी वादी की ओर से अधिवक्ता श्री मोहनलाल विश्नोई उपस्थित, प्रतिव[illegible] संख्या 1, 2, 4 से 7, 8, 13, 14, 16

से 18, 20, 23 की ओर अधिवक्ता श्री पूखराज विश्नोई उपस्थित। प्रतिवादी संख्या 22 राजपेरोकार उपस्थित, तथा प्रतिवादी संख्या 3, 5, 9 से 12, 15, 19, 21 अनुपस्थित रहने से एक पक्षकीय कार्यवाही होने से अनुपस्थित। मनजानिव मुद्रायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि तहसीलदार रानीवाड़ा द्वारा उक्त प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव के अनुसार वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 21 व 23 के बीच बंटवारा की अंतिम डिक्री निम्नानुसार जारी की जाती है।

क.सं.	खातेदार का नाम	खसरा नम्बर	रकबा हैक्टे0 में	बंटवाडे में आया रकबा हैक्टे0 में	किस्म	नक्शा ट्रेश में अंकित रंग	लगान राशि
1.	वचनाराम पुत्र पोमाराम कौम भील	1051	3.00	0.16	चा.उ.	गुलाबी	नियमानुसार
2.	खेताराम पुत्र बगदाराम कौम भील सा0 रानीवाडा खुर्द 2729/4329, गोपीदेवी पत्नि तोलाराम कौम भील हिस्सा 1600/4329	1051	3.00	0.4329	चा.उ.	हरा	
3	अर्जना पुत्र सोमा हिस्सा 4913/240710, आशा पुत्री खगा हिस्सा 16666/240710, चौथी पुत्री नाथा हिस्सा 184/24071, दाड़म पुत्री नाथा हिस्सा 184/24071, दिवा पुत्री सामतीराम हिस्सा 10000/72213, नरसीराम पुत्र उगराजी हिस्सा 800/24071, पुनमा पुत्र खुमा हिस्सा 4761/240710, पीरा पुत्र खुमा हिस्सा 9653/240710, बाबु पुत्र मंगला हिस्सा 1733/24071, बिजलाराम पुत्र नाथा हिस्सा 921/240710, भावना पुत्री हंसा हिस्सा 1507/240710, मनजी पुत्र मंगला हिस्सा 3334/24071, मूली पुत्री नाथा हिस्सा 1841/240710, महेन्द्रकुमार पुत्र खगा हिस्सा 16666/240710, मोतीराम पुत्र नाथा हिस्सा 921/240710, मोहनलाल पुत्र सामतीराम हिस्सा 10000/72213, रूपा पुत्र हिस्सा 1598/24071, रमेश पुत्र	1051	3.00	2.4071	चा.उ.	बैगनी	

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Ram
Date: 2024.02.19 18:14:29 IST
Reason: SelfAttested

	सोमा हिस्सा 453/24071, लाडू पुत्री नाथा हिस्सा 1/240710, हरसनराम पुत्र सामतीराम हिस्सा 10000/72213 कौम भील सा. देह खातेदार						

उक्त प्रस्तावित बंटवारे के अनुसार वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 21 व 23 के बीच पृथक पृथक खाते खोलकर एवं मीमोयॉ नक्शा में तरमीम कर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करने हेतु तहसीलदार रानीवाड़ा को आदेशित किया जाता है। उक्त बंटवारा अनुसार वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 21 व 23 के हक में प्राप्त आराजी के सम्बन्ध में एक दूसरे के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखलंदाजी न करे न किसी अन्य से करावें इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती है। पक्षकारान अपना अपना खर्चा वहन करें। उक्तानुसार अंतिम डिक्री जारी की जाति है।

बशर्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख 14.02.2024 को जारी की गई।

(भागीरथ राम)
सहायक कलेक्टर
रानीवाड़ा जिला–सांचौर

मुद्दई	रूपया	पैसा	मुद्दयलाह	रूपया	पैसा
स्टाम्प अर्जीदावा	2	00	स्टाम्प वकालतनामा	2	00
स्टाम्प वकालतनामा	2	00	जवाबदावा	0	00
स्टाम्प वजह सबूत	0	00	स्टाम्प अर्जी	2	00
महनताना वकील	0	00	महनताना वकील	0	00
खर्चा गवाहान	0	00	खर्चा गवाहान	0	00
फीस कमीश्नर	0	00	फीस कमीश्नर	0	00
बाबत इजराय हुक्मनामा	0	00	बाबत इजराय हुक्मनामा	0	00
मुतफरिक	0	00	मुतफरिक	0	00
मौजाना	4	00	**मौजाना**	4	00

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhagirath Ram
Date: 2024.02.19 18:14:29 IST
Reason: SelfAttested